राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1084 एवं 1085/2017...जिला...........जयपुर..............................

मै. जिनेन्द्र माहेश्वरी पुत्र रामजस प्रभारी गुजरात महाराष्ट्र फ्रेट केरियर, भांकरोटा जयपुर बनाम एसीटीओ तृतीय, प्रतिकरापवंचन, संभाग द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

02.08.2017

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।

उक्त दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अलग–अलग पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत विवादित मांग राशि रू0 12,09,122/– एवं अधिनियम की धारा 76(9) के तहत शास्ति रूपये 10,03,367/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई विधिक कारण अंकित नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया करारोपण अविधिक व अन्यायिक है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 12,09,122/– **एवं 10,03,367/–** की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी ।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में विवाद यह था कि अपीलार्थी द्वारा माल का परिवहन दिल्ली से अहमदाबाद नहीं होकर प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से राजस्थान राज्य के लिये ही किया जा रहा था। वाहन में पाया गया माल दस्तावेजों से भिन्न होना, दस्तावेजों से अधिक पाया जाना तथा बॉक्सेज में राजस्थान के पते की पर्चियां पाये जाने जैसे कारणों से माल को राज्य में खाली किये जाने के लिए परिवहनित किया जाना अवधारित किया गया अतः अधिनियम की धारा 76(2) के उल्लंघन में धारा 76(6) एवं धारा 76(9) के तहत अलग शास्तियां आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त करारोपण आदेशों के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने अलग–अलग आदेश दिनांक 13.07.2017 द्वारा दो स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल का परिवहन मिथ्या घोषणा के आधार पर होने

लगातार..............2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1084 एवं 1085 / 2017..जिला...........जयपुर..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02 / 08 / 2017	– 2 – से धारा 76(2) का उल्लंघन माना है एवं इस अपराध के लिए ट्रांसपोर्ट कम्पनी पर ही धारा 76(6) एवं धारा 76(9) में शास्ति आरोपित की है। उल्लेखनीय है कि धारा 76(6) एवं धारा 76(9) की दोनों शास्तियां एक ही व्यक्ति पर आरोपित की है जो प्रथम दृष्टया विधिनुकूल प्रतीत नहीं होती है धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होने से इसकी वसूली पर रोक नहीं लगाने की पुष्टि कर अपील अस्वीकार की जाती है। परन्तु इसी प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(9) के तहत आरोपित शास्ति की वसूली पर प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः धारा 76(9) के प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग रूपये 10,03,367 / –की वसूली पर रोक लगाई जाती है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के दो माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। आदेश प्रसारित किया गया। (मदन लाल मालीवय) सदस्य — (के.एल.जैन) सदस्य	